V राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार विश्लेषण

2008-09 तथा 2010-11 के दौरान अधिकांश राज्यों के वित्त की स्थिति दबाव में आ गई। 2008-09 में 19 राज्यों के राजस्व लेखा पर प्रतिकूल असर पड़ा जो मुख्यतः कुछ राज्यों में वेतनों के बढ़ाए जाने तथा स्वयं के कर एवं करेतर संग्रहण में गिरावट आने की वजह से था। केंद्रीय करों के संग्रहण में आयी गिरावट के कारण भी जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 26 राज्यों में करों के न्यागमन (डेवलूशन) में कमी आयी, हालांकि केंद्र से अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण इसकी आंशिक भरपाई हुई। 2008-09 में अधिकांश राज्यों का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा जो राजस्व लेखा की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। इन सब के बावजूद पिछले वर्षों में राजकोषीय स्थिति में हुए सुधार के चलते 21 राज्यों ने 2008-09 में राजकोषीय आधिक्य का लक्ष्य हासिल करने में सफलता हासित की। 2009-10 में कई राज्य सरकारें संशोधित वेतन के ढांचे के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में थीं जिसके चलते राजस्व लेखा में उल्लेखनीय गिरावट आयी। 3 वर्ष के बाद राजस्व घाटे के पुनः उभरने तथा उच्चतर पूंजीगत परिव्यय के चलते 2009-10 में सभी राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि 2 राज्य अर्थात् केरल तथा पंजाब लगातार राजस्व घाटे में रहे जिनमें 2008-09 तथा 2009-10 में राजस्व लेखा में मामूली सुधार हुआ। 2010-11 में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व लेखा में सुधार हेतु किए गये प्रयास को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए अनुसार राजकोषीय समेकन की ओर पुनः आगे बढ़ना चाहते हैं। तथापि व्यय की उभरती प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि जीएसडीपी के अनुपात के रूप में अधिकांश राज्यों में विकासात्मक व्यय, पूंजी परिव्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय में कमी आने की संभावना है जिससे राज्य स्तर पर राजकोषीय समायोजन की दिशा में किए गए प्रयासों की गुणवत्ता के बारे में संदेह होता है।

1. भूमिका

5.1 इस अध्याय में 2008-09 (लेखा) तथा 2009-10 (सं.अ.) को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्याय में राज्यों के 2010-11 के बजट अनुमानों से जो राजकोषीय स्थिति उभरकर आती है उसकी मोटे तौर पर जानकारी भी दी गई है। विश्लेषण में राज्य वित्त के तीन पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है :(i) घाटा संकेतक ; (ii) राजस्व में अभिवृद्धि; तथा (iii) व्यय का प्रबंधन। अधिकांश राजकोषीय संकेतकों को जीएसडीपी के रूप में वर्तमान मूल्यों में प्रस्तुत किया जाता है और ये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)से प्राप्त होते हैं। एक राज्य के 2008-09 के, पांच राज्यों के 2009-10 के तथा छह राज्यों के 2010-11 के जीएसडीपी के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अत:इन राज्यों के जीएसडीपी की गणना पिछले तीन वर्षों की उनकी औसत जीएसडीपी वृद्धि दर के आधार पर की गई है। राज्यों को गैर विशेष तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विधान सभा वाले दो केंद्र शासित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के आंकड़े भी सारणी में ज्ञापन मदों के रूप में दिए गए हैं। विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार विस्तृत आंकड़े विवरण 1 से 48 तक में दिए गए हैं।

5.2 2008-09 तथा 2009-10 में सभी राज्यों के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में गिरावट देखी गई जो छठे केंद्रीय/ राज्य वेतन आयोगों (सीपीसी/एसपीसी) की सिफारिशों को लागू किए जाने एवं आर्थिक कार्यकलापों में आयी समग्र गिरावट के असर को दर्शाती है। 2008-09 (लेखा) में जहां कुछ ही राज्य इससे प्रभावित हुए थे वहीं 2000-10 (सं.अ.) में राजकोषीय हालत के बिगड़ने का असर अन्य और राज्यों में अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई दिया। 2010-11 (ब.अ.) के राज्यों के बजटों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश राज्य राजकोषीय समेकन की दिशा में अच्छी प्रगति करने के प्रति आशावादी है, हालांकि इस बात की घोषणा उनके बजट अभिभाषण में स्पष्ट रूप से नहीं की गई है।

5.3 इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय में इन मुद्दों पर विचार किया गया है (i) 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान राज्य सरकारें किस प्रकार प्रभावित हुईं तथा (ii) राज्य सरकारें 2010-11(ब.अ.) में किस प्रकार अपने वित्तों का पुनर्गठन करना चाहती हैं।

2. राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

5.4 2004-05 से 2007-08 की अवधि की विशेषता यह थी कि प्रमुख घाटा संकेतकों के मानदंडों के अनुसार राज्यों, विशेष रूप से गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों, की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। परंतु, 2008-09(लेखा) तथा 2009-10(सं.अ.) में परिस्थितियां उलट गईं। प्रमुख घाटा संकेतकों में आई विकृतियां 2009-10(सं.अ.) में अधिक प्रखर थीं जब संशोधित वेतन ढांचे और सभी राज्यों में किये गये प्रोत्साहन उपायों दोनों के चलते उनके वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसके विपरीत 2008-09 तथा 2009-10 की गतिविधियों का असर विशेष श्रेणी के राज्यों पर कम पड़ा क्योंकि वे केंद्र से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर अधिक निर्भर थे।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

5.5 2004-05 से 2007-08 के दौरान के राजकोषीय समेकन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा प्रारंभ किये गये संस्थागत सुधारों से संबंधित था और इन राज्यों का कुल व्यय सभी राज्यों के व्यय का लगभग 90 प्रतिशत था। बारहवें वित्त आयोग ने राज्य के स्तर पर सार्वजनिक वित्त के पुनर्गठन का सुझाव देते हुए यह सुझाव दिया था कि राज्य सरकारें 2008-09 तक राजस्व संतुलन की स्थिति में आ जाएं और 2009-10 तक जीएफडी को घटाकर जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाएं। नियम आधारित राजकोषीय नीति के चलते गैर-विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों ने राजकोषीय समेकन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की और निर्धारित समय से पहले ही घाटे के प्रमुख संकेतकों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर)[6] द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अधिनियमन के चलते न केवल वित्तीय अनुशासन स्थापित हुआ बल्कि इससे वित्तीय स्थिति की स्थिरता, वहनीयता तथा बेहतर कौशल एवं पारदर्शिता में भी सुधार हुआ। परंतु 2004-05 से 2007-08 के दौरान राजकोषीय समेकन की दिशा में जो सफलता हासिल की गई थी उसे 2008-09(लेखा) तथा 2009-10(सं.अ.) में बनाये नहीं रखा जा सका क्योंकि राज्यों द्वारा संशोधित मजदूरी और वेतनमानों को लागू किया जाना था, साथ ही आर्थिक गिरावट को रोकने के लिए विस्तारकारी राजकोषीय नीतिगत उपायों को लागू किया जाना था। राज्य वित्त की हालत 2008-09(लेखा) की तुलना में 2009-10(सं.अ.) में अधिक खराब थी (सारणी V.1)।

5.6 2008-09 में गैर-विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में राजस्व लेखा में गिरावट आयी। गैर विशेष श्रेणी के 13 राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व अधिशेष में या तो गिरावट आयी अथवा उसमें घाटा रहा। गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटे की स्थिति में आ गए। गैर विशेष श्रेणी के 4 राज्यों में 2007-08 में राजस्व अधिशेष की स्थिति थी, इनमें से झारखंड, पंजाब तथा केरल में राजस्व लेखा में सुधार (जीएसडीपी के रूप में) हुआ जबकि पश्चिम बंगाल में 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में आरडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। फिर भी 2007-08 में 13 राज्यों की तुलना में 2008-09 (लेखा) में 11 गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में राजस्व अधिशेष रहा। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 7 राज्यों पर आर्थिक गिरावट तथा वेतन में वृद्धि का प्रतिकूल असर पड़ा जैसा कि जीएसडीपी के अनुपात (आरआर-जीएसडीपी) के रूप में राजस्व प्राप्तियों में हुई गिरावट तथा जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय (आरई-जीएसडीपी) में हुई वृद्धि में देखा जा सकता है। ये राज्य थे- छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। गैर-विशेष श्रेणी के 4 राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब में यह असर आरआर-जीएसडीपी अनुपात में हुई गिरावट के रूप में दिखाई दिया। इसके विपरीत गैर-विशेष श्रेणी के 4 राज्यों अर्थात् - गोवा, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में आरई-जीएसडीपी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दी। 2008-09 (लेखा) में सिर्फ आंध्र प्रदेश तथा केरल ऐसे 2 राज्य थे जो आरआर-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि करने के साथ-साथ आरई-जीएसडीपी अनुपात को कम करने में भी सफल हुए।

5.7 2008-09 में राज्यों के राजस्व लेखा में जो अवनति हुई वह गैर-विशेष श्रेणी के 15 राज्यों के मामले में मुख्यत:जीएसडीपी के अनुपात के रूप में उच्चतर सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी-जीएसडीपी) में दिखायी दी। चूंकि 2008-09 में 2 और राज्य अर्थात् उड़ीसा तथा महाराष्ट्र भी राजकोषीय अधिशेष से घाटे की स्थिति में चले गए थे, इसलिए इस अवधि में गैर-विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्य राजकोषीय दबाव की स्थिति में रहें। दूसरी ओर 2008-09 के दौरान गैर-विशेष श्रेणी के 2 राज्य अर्थात् झारखंड और केरल भी

[6] पश्चिम बंगाल ने जुलाई 2010 में एफआरबीएम अधिनियम को अधिनियमित किया।

अपने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को कम करने में सफल रहे, हालांकि उनका यह अनुपात 3 प्रतिशत से अधिक था। इससे 2008-09 में उनके राजस्व लेखा में मामूली सुधार के साथ-साथ पूंजी परिव्यय में मितव्ययता की झलक मिलती है। राजस्व लेखा में सुधार होने एवं जीएसडीपी के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय में गिरावट आने के बावजूद 2008-09 में आंध्र प्रदेश का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा जो मुख्यत: ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में हुई उल्लेखनीय गिरावट के कारण था। 2008-09 में ऐसे 11 राज्य थे जिनका जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत से अधिक था। यह स्पष्ट था कि 2008-09 में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में हुई वृद्धि 2007-08 में गैर-विशेष श्रेणी के 9 राज्यों की तुलना में 2008-09 (लेखा) में 15 राज्यों में जीएसडीपी (पीडीजीएसडीपी) के अनुपात के रूप में प्राथमिक घाटा उच्चतर रहने के कारण था। प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) के संबंध में राज्यवार स्थिति से ज्ञात होता है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरबी) बना रहा। तथापि पांच राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब तथा राजस्थान में प्राथमिक राजस्व अधिशेष तथा राजस्व घाटा साथ-साथ बने रहने से यह स्पष्ट होता है कि इन राज्यों का राजस्व घाटा 2008-09 में इनके ब्याज के भुगतान की राशि उच्चतर रहने के कारण था। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में राजस्व घाटे के साथ-साथ प्राथमिक राजस्व घाटे के रहने का अर्थ था कि राज्य सरकार ब्याजेतर राजस्व व्यय को रोक पाने में असमर्थ हो गयी थी एवं निवल उधारियों का उपयोग चालू ब्याजेतर व्यय के वित्तपोषण के लिए किया गया था और ऋण की चुकौती हेतु आय के स्रोत की संभावना नहीं रह गई थी।

5.8 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, 2009-10 (सं.अ.) में आर्थिक मंदी एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी तथा वेतन में की गयी वृद्धि का असर पर्याप्त स्पष्ट था। 2008-09 (लेखा) में राजस्व घाटा वाले गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संख्या 6 थी जो 2010-11 (सं.अ.) में बढ़कर 11 हो गयी। वस्तुत: 2008-09 की तुलना में जहां गैर-विशेष श्रेणी के 12 राज्यों में राजस्व लेखा में अवनति हुई थी वहीं 5 गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में या तो राजस्व अधिशेष (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) उच्चतर था या आरडी-जीएसडीपी अनुपात कम था। 2009-10(सं.अ.) में राजस्व लेखा में अवनति बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में अधिक स्पष्ट थी। इन कतिपय राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) में जीडीपी के अनुपात के रूप में स्वयं के राजस्व संग्रहण (स्वयं के कर तथा करेतर राजस्व) की मात्रा कम थी। उसी प्रकार गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में (पंजाब को छोड़कर) केंद्र से कर का न्यागमन (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) की मात्रा कम थी परंतु 2009-10 (सं.अ.) के दौरान केंद्र से सहायता अनुदान की राशि उच्चतर रहने के चलते इसकी लगभग भरपाई हो गई। राजस्व लेखा में हुई अवनति का असर गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों (झारखंड, केरल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर) के उच्चतर जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में देखा जा सकता है। जहां तक प्राथमिक घाटे की बात है, 2009-10 (सं.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों (झारखंड, केरल तथा पंजाब को छोड़कर) में पीडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में राजस्व घाटे के साथ-साथ प्राथमिक राजस्व घाटा भी था जो ब्याजेतर राजस्व व्यय के प्राधान्य को दर्शाता है।

5.9 2010-11(ब.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के 13 राज्यों ने अपने बजट में कम आरडी-जीएसडीपी अनुपात अथवा उच्चतर राजस्व अधिशेष-जीएसडीपी अनुपात के रूप में सुधार का लक्ष्य रखा था। आशा है कि दो राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़ और गोवा राजस्व घाटे से राजस्व अधिशेष की स्थिति में आ जाएंगे। 2010-11 (ब.अ.) में जिन राज्यों ने बजट में राजस्व लेखा में उल्लेखनीय सुधार (अर्थात् जीएसडीपी के 1 प्रतिशत अंक से अधिक) हेतु उपाय किए हैं उनमें बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। फिर भी 2010-11 (ब.अ.) में 9 राज्यों में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रहेगी। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में 2010-11 (ब.अ.) में पश्चिम बंगाल का आरडी-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक रहेगा उसके बाद पंजाब का। सभी राज्यों के बजटों में उल्लिखित प्रमुख घाटा संकेतक तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित दिशानिर्देश के अनुरूप है (बॉक्स V.1)।

5.10 आशा है कि 2010-11 (ब.अ.) में सभी राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में कमी के जरिए राजकोषीय समेकन की दिशा में पहल की शुरुआत हो जाएगी। गैर-विशेष श्रेणी के 17 राज्यों में से 11 राज्यों ने 2010-11 (ब.अ.) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात ने कमी लाने का प्रस्ताव किया है। परंतु जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में किन उपायों से कमी लायी जाएगी उनके बारे में राज्यों के विचार एक समान नहीं है। उदाहरणार्थ, 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा ने प्रस्ताव किया है कि वे राजस्व लेखा में सुधार करने एवं जीएसडीपी के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय (सीओ-जीएसडीपी) को कम करके अपने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात

बॉक्स V.1: राजकोषीय समेकन: राज्यों के लिए संशोधित कार्य-योजना

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) को अंगीकार किए जाने के बाद 2004-05 से राज्य सरकारों के वित्त में प्रमुख घाटा संकेतकों की दृष्टि से उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके फलस्वरूप राज्यों के ऋण-जीएसडीपी अनुपात में कमी आयी। राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न संस्थागत सुधारों की वजह से यह संभव हुआ। वस्तुत: अधिकांश राज्यों ने एफआरबीएम संबंधी लक्ष्य अपने निर्धारित समय-सीमा अर्थात् 2007-08 से पहले ही प्राप्त कर लिया। परंतु आर्थिक वृद्धि में आयी गिरावट तथा सभी राज्यों द्वारा संशोधित वेतनमानों को लागू किए जाने का 2008-09 तथा 2009-10 में राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ा। केंद्र तथा राज्य के स्तरों पर समग्र राजकोषीय निष्पादन की खराब हालत को ध्यान में रखते हुए तेरहवें वित्त आयोग को राजकोषीय समायोजन हेतु कार्य-योजना की समीक्षा करने का अतिरिक्त कार्य दिया गया ताकि 2010-15 के दौरान राजकोषीय समेकन के लाभों को बनाए रखा जा सके। तदनुसार तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्र तथा राज्यों दोनों के लिए संशोधित कार्य-योजना की सिफारिश की। तेरहवें वित्त आयोग ने मध्यावधि में राज्यों के लिए संशोधित राजकोषीय कार्य-योजना की रूपरेखा करते हुए राज्यों के पिछले राजकोषीय निष्पादन के आधार पर एक खंडवार दृष्टिकोण अपनाया जिसके अनुसार राज्यों के विभिन्न समूहों के लिए भिन्न-भिन्न समय-सीमा तय कर दी गई। आशा है कि 2010-11 समेकन का वर्ष साबित होगा जिसके अनुसार 2011-12 तक राज्य सरकारें राजकोषीय समेकन के मार्ग पर आ जाएंगी। संशोधित कार्य-योजना में यह निर्धारित किया गया है क:

i) जिन गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष हासिल कर लिया था उन्हें 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना चाहिए तथा उसके बाद राजस्व शेष अथवा राजस्व अधिशेष बनाए रखना चाहिए। अन्य राज्यों को चाहिए कि वे 2014-15 तक राजस्व घाटे को समाप्त कर दें।

ii) जिन गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष हासिल कर लिया था उन्हें 2011-12 तक राजकोषीय घाटे के रूप में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत का लक्ष्य भी हासिल करना चाहिए तथा आगे उसे बनाये रखना चाहिए। गैर विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों को चाहिए कि वे 2013-14 तक राजकोषीय घाटे के 3 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करें।

iii) जिन विशेष श्रेणी के राज्यों का 2007-08 में मूल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से कम था वे 2011-12 में 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा रख सकते हैं तथा उन्हें उसके आगे भी इसे बनाए रखना होगा। मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम तथा उत्तराखंड को चाहिए कि वे 2013-14 तक राजकोषीय घाटा कम करके जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाएं।

iv) जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम को चाहिए कि वे 2014-15 तक अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित रखे। राज्यों को चाहिए कि वे एफआरबीएम अधिनियम बनाएं/में संशोधन करें ताकि आयोग द्वारा सुझाए गए सुधार के उपायों का अनुसरण किया जा सके। राज्यों के लिए सिफारिश किए गए राज्य विशिष्ट अनुदान तभी दिए जाएं जब इनका अनुपालन किया जाए।

तदनुसार 4 राज्यों को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों को 2011-12 तक राजस्व संतुलन प्राप्त कर लेना है। 2007-08 में राजस्व घाटा वाले 4 राज्यों (झारखंड, केरल, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल) को 2014-15 तक राजस्व संतुलन प्राप्त कर लेना होगा और 2013-14 तक उन्हें जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 3 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। विशेष श्रेणी के 11 राज्यों में से 6 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा उत्तराखंड के लिए विभिन्न राजकोषीय समायोजन उपायों का सुझाव दिया गया है। बारहवें वित्त आयोग की तुलना में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझायी गयी कार्य योजना की तुलना करते हुए चक्रवर्ती (2010) तर्क देते हैं कि जहां तक राजकोषीय घाटे के स्तर का संबंध है तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें मूल रूप में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से भिन्न नहीं हैं। अंतर केवल तुलनात्मक रूप में अधिक राजकोषीय असंतुलन वाले राज्यों के लिए सिफारिश की गई राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया में है जिसमें 2014-15 के अंत तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से राजकोषीय घाटे को कम करने की बात कही गयी है। जैसा कि 2010-11 (ब.अ.) के बजटीय प्रमुख राजकोषीय संकेतकों से पता चलता है, राज्यों ने राजकोषीय सुधार हेतु थोड़ी-बहुत प्रतिबद्धता दिखाई है। परंतु इस स्थिति को बनाए रखना कहां तक संभव होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मध्यावधि में समष्टि आर्थिक स्थितियां कैसी रहती हैं। फिर भी तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझायी गयी संशोधित कार्य-योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें अपने नए लक्ष्य निर्धारित कर सकती हैं।

संदर्भ :

चक्रवर्ती, पी. (2010), "डेफिसिट फंडामेंटेलिज्म वर्सस् फिस्कल फेडरेलिज्म: इंप्लिकेशन्स ऑफ थर्टिन्थ फाइनांस कमीशन्स रिकमेंडेशन्स ", इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खंड XLV, सं.48, पृष्ठ 56-63, नवंबर 27।

भारत सरकार (2009), तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, दिसंबर, खंड I।

में कमी लाएंगे। जहां 4 राज्यों अर्थात् बिहार, गोवा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने बजट में निर्धारित सुधार केवल राजस्व लेखा के जरिए करने का प्रस्ताव किया है वहीं कर्नाटक ने प्रस्ताव किया है कि वह मुख्यत: ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों को बढ़ाकर एवं सीओ-जीएसडीपी अनुपात को घटाकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उत्तर प्रदेश ने 2010-11 (ब.अ.) में सीओ-जीएसडीपी अनुपात में कमी करके जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में कमी लाने की परिकल्पना की है। 2010-11 (ब.अ.) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के कम स्तर को देखते हुए गैर-विशेष श्रेणी के 12 राज्यों के बजटों में पीडी-जीएसडीपी अनुपात कम रखा गया है। गैर-विशेष श्रेणी के दो राज्यों अर्थात् हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में प्राथमिक राजस्व घाटे के बने रहने की संभावना है।

विशेष श्रेणी के राज्य

5.11 सकल व्यय की दृष्टि से विशेष श्रेणी के राज्यों के व्यय का आकार सभी राज्य सरकारों के सकल व्यय का दसवां हिस्सा है। इन राज्यों की विशेषता यह है कि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहां की आबादी का घनत्व कम है तथा परिवहन की लागत काफी अधिक है जिनके चलते सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लागत काफी अधिक होती है। विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में आर्थिक कार्यकलापों का स्तर अपेक्षाकृत कम रहने के कारण गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में उनके कर का आधार सीमित है। ये राज्य अपने संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक केंद्र से प्राप्त होनेवाले अंतरणों (जिनमें अनुदान तथा कर न्यागमन शामिल होते हैं) पर निर्भर रहते हैं।

सारणी V.1 :राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)*				2008-09				2009-10 (सं.अ.)				2010-11 (ब.अ.)			
	आरडी/ जीएस डीपी	जीएफडी/ जीएस डीपी	पीडी/ जीएस डीपी	पीआरबी/ जीएस डीपी	आरडी/ जीएस डीपी	जीएफडी/ जीएस डीपी	पीडी/ जीएस डीपी	पीआरबी/ जीएस डीपी	आरडी/ जीएस डीपी	जीएफडी/ जीएस डीपी	पीडी/ जीएस डीपी	पीआरबी/ जीएस डीपी	आरडी/ जीएस डीपी	जीएफडी/ जीएस डीपी	पीडी/ जीएस डीपी	पीआरबी/ जीएस डीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	-0.3	2.7	0.1	-3.0	-0.3	3.3	1.2	-2.4	-0.7	3.5	1.3	-2.9	-0.8	3.0	0.6	-3.1
2. बिहार	-2.2	3.1	-0.7	-6.0	-3.1	1.8	-0.9	-5.8	-0.1	6.3	3.6	-2.8	-3.9	2.7	0.0	-6.6
3. छत्तीसगढ़	-3.5	0.3	-1.3	-5.2	-2.0	1.1	-0.1	-3.1	0.1	2.9	1.9	-0.9	-0.8	3.0	1.9	-2.0
4. गोवा	-0.6	3.6	0.8	-3.4	-0.5	4.1	1.5	-3.1	1.2	6.7	4.1	-1.3	0.0	5.6	3.0	-2.5
5. गुजरात	-0.4	2.2	-0.4	-3.0	0.0	3.1	0.8	-2.3	1.1	3.3	1.1	-1.1	1.0	3.5	1.2	-1.2
6. हरियाणा	-1.3	0.1	-1.7	-3.0	1.1	3.6	2.3	-0.1	1.7	4.0	2.6	0.3	1.6	3.6	2.0	0.0
7. झारखंड	2.2	8.8	7.0	0.4	-0.8	5.0	2.1	-3.7	-3.1	2.1	-0.5	-5.8	-3.9	0.7	-1.6	-6.3
8. कर्नाटक	-1.6	2.2	0.2	-3.6	-0.6	3.2	1.6	-2.3	-0.2	3.8	2.0	-1.9	-0.2	3.0	1.0	-2.1
9. केरल	2.2	3.2	0.4	-0.6	2.0	3.3	0.9	-0.5	1.9	3.1	0.7	-0.5	1.5	3.5	1.1	-0.9
10. मध्य प्रदेश	-2.0	2.6	-0.3	-4.9	-2.4	2.6	0.1	-4.8	-2.7	3.4	0.9	-5.2	-0.8	4.0	1.5	-3.3
11. महाराष्ट्र	-0.6	1.9	-0.2	-2.7	-0.8	2.0	0.2	-2.6	1.5	3.7	2.0	-0.2	0.9	2.7	0.9	-0.9
12. उड़ीसा	-2.2	-0.5	-4.1	-5.8	-2.6	0.3	-1.9	-4.7	1.0	3.7	1.3	-1.3	0.6	3.4	1.1	-1.7
13. पंजाब	1.7	3.1	-0.2	-1.6	2.3	4.0	1.1	-0.6	2.2	3.4	0.6	-0.6	2.2	3.6	0.9	-0.5
14. राजस्थान	-0.3	2.8	-0.9	-4.0	0.4	3.5	0.4	-2.7	1.8	4.5	1.4	-1.3	0.5	3.5	0.4	-2.6
15. तमिलनाडु	-1.1	1.2	-0.8	-3.1	-0.4	2.5	0.8	-2.2	1.3	3.4	1.6	-0.4	0.8	3.7	2.0	-1.0
16. उत्तर प्रदेश	-0.7	3.5	0.3	-3.9	-0.5	5.0	2.2	-3.2	-0.4	4.9	2.3	-2.9	-0.1	4.4	1.8	-2.7
17. पश्चिम बंगाल	3.0	4.1	0.0	-1.0	4.2	3.8	0.4	0.7	5.6	6.7	3.5	2.4	3.4	4.6	1.7	0.5
II. विशेष क्षेत्र																
1. अरुणाचल प्रदेश	-15.2	1.7	-3.2	-20.2	-21.7	7.3	2.5	-26.5	-32.3	3.8	-1.0	-37.1	-29.0	1.9	-2.7	-33.5
2. असम	-3.2	-0.9	-3.3	-5.6	-4.8	-1.8	-3.8	-6.8	6.1	11.5	9.0	3.6	6.1	9.5	7.0	3.6
3. हिमाचल प्रदेश	-1.2	2.6	-3.2	-7.0	0.4	6.2	1.0	-4.8	0.4	5.4	0.7	-4.3	1.1	5.1	0.4	-3.6
4. जम्मू और कश्मीर	-6.8	6.4	1.3	-11.9	-9.7	6.7	2.1	-14.3	-11.6	5.8	0.5	-16.9	-12.3	4.6	-0.7	-17.6
5. मणिपुर	-12.4	4.1	-0.9	-17.4	-19.7	3.4	-1.5	-24.7	-22.7	4.8	-0.2	-27.6	-16.2	3.5	-1.0	-20.7
6. मेघालय	-2.2	2.1	-0.5	-4.8	-1.3	4.5	2.3	-3.5	-2.0	5.6	3.4	-4.2	-2.6	3.0	0.9	-4.8
7. मिजोरम	-4.8	10.8	4.0	-11.6	-8.9	2.5	-3.4	-14.8	-6.0	9.1	3.0	-12.1	-7.1	0.9	-4.3	-12.3
8. नागालैंड	-6.5	4.8	0.3	-11.0	-7.2	4.8	0.4	-11.7	-5.5	12.1	7.3	-10.3	-11.8	3.5	-1.4	-16.8
9. सिक्किम	-12.4	5.2	-0.2	-17.9	-14.5	9.0	3.5	-19.9	-22.1	12.0	6.2	-27.8	-16.0	10.8	5.0	-21.9
10. त्रिपुरा	-7.8	0.0	-3.8	-11.6	-8.0	2.3	-1.1	-11.3	-1.6	13.2	9.6	-5.2	-5.8	7.2	3.5	-9.5
11. उत्तराखंड	-1.4	4.9	1.9	-4.5	-0.6	4.6	1.6	-3.5	2.4	8.3	5.1	-0.8	-0.3	3.3	0.3	-3.2
सभी राज्य#	**-0.4**	**1.9**	**-0.2**	**-2.6**	**-0.2**	**2.4**	**0.6**	**-2.1**	**0.7**	**3.3**	**1.5**	**-1.1**	**0.3**	**2.5**	**0.9**	**-1.3**
ज्ञापन मदें:																
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	-3.7	0.5	-1.2	-5.4	-2.8	1.7	0.2	-4.3	-3.5	1.8	0.5	-4.8	-3.1	1.4	0.2	-4.3
2. पुदुचेरी	0.3	4.1	1.8	-2.0	1.0	3.1	0.9	-1.3	3.1	6.1	3.9	0.9	1.7	6.6	4.7	-0.2

औ. : औसत. सं.अ. : संशोधित अनुमान.
आरडी : राजस्व घाटा जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा पीडी: प्राथमिक घाटा.
पीआरबी : प्राथमिक राजस्व शेष जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 के हैं। # : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं।
टिप्पणी : ऋणात्मक (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है ।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

2004-05 से 2007-08 के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों में जो राजकोषीय सुधार हुआ वह मुख्यत: केंद्र से अधिक मात्रा में न्यागमन तथा अंतरण की राशि प्राप्त हेने के कारण था, हालांकि उनके स्वयं के राजस्व में भी कुछ सुधार हुआ है। केंद्र से प्राप्त होनेवाले अंतरणों पर अधिक निर्भरता (न कि स्वयं के कर आधार पर) के कारण 2008-09 में अर्थव्यवस्था की समग्र समष्टि आर्थिक मंदी का असर विशेष श्रेणी के राज्यों के राजस्व लेखों पर अपेक्षाकृत कम रहा। 2009-10 (सं.अ.) में अर्थव्यवस्था में और गिरावट आने के बावजूद विशेष श्रेणी के राज्यों

में समेकित राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही, हालांकि अधिशेष का स्तर कम था। परंतु गैर विशेष श्रेणी के राज्य इस दौरान घाटे की स्थिति में चले गए थे। उसी प्रकार विशेष श्रेणी के राज्यों के समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात की अवनति का स्तर गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में कम था (सारणी V.2)।

5.12 राज्यवार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विशेष श्रेणी के सभी राज्यों (हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) ने 2008-09 के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किए। उच्चतर राजस्व अधिशेष(जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम तथा नागालैंड शामिल हैं। राजस्व अधिशेष के रहने के बावजूद 2008-09 (लेखा) में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा। 2009-10 (सं.अ.)में असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड के राजस्व लेखा की स्थिति बिगड़ गई, यहां तक कि 2008-09 (लेखा) में राजस्व अधिशेष रहने के बावजूद असम और उत्तराखंड राजस्व घाटे की स्थिति में चले गए। कुल मिलाकर 2009-10 (सं.अ.) में केवल 8 राज्य राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे जबकि 2008-09 (लेखा) में ऐसे राज्यों की संख्या 10 थी। छह राज्यों में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हुई जो संभवत: संशोधित वेतन ढांचों को लागू करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय बोझ के आ जाने के कारण थी। तथापि 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों के जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात और बिगड़ गया। समग्र रूप में 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के केवल 3 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी जिसका असर उनके पीडी-जीएसडीपी अनुपातों में भी दिखाई दिया। 2009-10 (सं.अ.) में असम ही केवल ऐसा राज्य था जिसमें ब्याजेतर राजस्व व्यय का स्तर उच्च रहने के कारण राजस्व घाटा तथा प्राथमिक राजस्व घाटा दोनों ही रहा।

सारणी V.2: घाटा संकेतकों में विशेष तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का हिस्सा

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
समेकित आरडी-जीडीपी अनुपात	**-0.86**	**-0.23**	**0.71**	**0.31**
विशेष श्रेणी के राज्य	-0.21	-0.21	-0.04	-0.06
गैर विशेष श्रेणी के राज्य	-0.66	-0.01	0.76	0.37
समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात	**1.51**	**2.41**	**3.30**	**2.52**
विशेष श्रेणी के राज्य	0.10	0.12	0.35	0.23
गैर विशेष श्रेणी के राज्य	1.41	2.29	2.95	2.29

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर ।

5.13 विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों (11 में से 9) ने 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व अधिशेष का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। कुल मिलाकर विशेष श्रेणी के 6 राज्यों ने 2010-11 में राजस्व लेखा में सुधार हेतु बजट में प्रावधान किया है। 2 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को आशा है कि वे उच्चतर राजस्व प्राप्ति-जीएसडीपी अनुपात में सुधार करके राजस्व लेखा की स्थिति में सुधार ला सकेंगे जबकि मिजोरम और उत्तराखंड आरई-जीएसडीपी अनुपात को कम करके इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। मेघालय तथा त्रिपुरा ने अपने बजट में आरआर-जीएसडीपी तथा आरई-जीएसडीपी अनुपातों में सुधार हेतु उपाय किए हैं। 2010-11 (ब.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के बजटों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को कम रखा गया है। कम सीओ-जीएसडीपी अनुपात के चलते यह आशा है कि राजस्व घाटा वाले 2 राज्यों अर्थात् असम तथा हिमाचल प्रदेश को 2010-11 (ब.अ.) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को कम करने में मदद मिलेगी। यह आशा है कि 2010-11 (ब.अ.) में विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड में प्राथमिक अधिशेष रहेगा। यह संभावना है कि असम में प्राथमिक धराजस्व घाटा तथा राजस्व घाटा एक साथ बना रहेगा।

3. राज्य सरकारों का राजस्व लेखा

5.14 2004-05 तथा 2007-08 के बीच राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के सभी घटकों में सुधार दिखाई दिया। इस अवधि के बेहतर समष्टि आर्थिक परिवेश का लाभ उठाते हुए राज्यों ने राजस्व में वृद्धि हेतु कई उपाय किए और इन उपायों ने उनके राजस्व संग्रहण को बढ़ाने में मदद की। वैट को कार्यान्वित करने के अलावा करों को युक्तिसंगत बनाने, कर के अनुपालन में बेहतरी लाने एवं करों को लागू करने के उपायों को बेहतर करके उत्पाद तथा अन्य कर तथा करेतर स्रोतों से संग्रहण में वृद्धि के प्रयास किए गए। जहां 2008-09 तथा 2009-10 के

दौरान अधिकांश राज्यों के राजस्व संग्रहण में गिरावट आयी थी वहीं 2010-11 (ब.अ.) में इनके राजस्व लेखा में सुधार होने की संभावना है क्योंकि राज्यों को आशा है कि इस दौरान राजस्व संग्रहण में वृद्धि होने के साथ-साथ वर्ष के दौरान आरई-जीएसडीपी अनुपात भी कम रहेगा। राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न संकेतकों को सारणी V.3 में प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्व व्यय के संकेतक सारणी V.4 में दिये गये हैं।

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

5.15 सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का है। अत: इन राज्यों की राजकोषीय गतिविधियों का असर राज्यों वित्त की समेकित स्थिति पर अधिक स्पष्ट रूप से पड़ता है जैसा कि आर्थिक गिरावट के हाल के दौर में देखा गया।

राजस्व प्राप्तियां

5.16 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 11 राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियें पर जीएसडीपी के अनुपात (आरआर-जीएसडीपी) के रूप में प्रतिकूल असर पड़ा। स्वयं के कर एवं करेतर स्रोतों से राजस्व के संग्रहण में खराब प्रदर्शन के अलावा करों के न्यागमन के रूप में केंद्र से होनेवाला अंतरण भी अधिकांश राज्यों में कम रहा जिसका कारण केंद्रीय कर के संग्रहण में कमी आना था। तथापि 2008-09 में केंद्र द्वारा अधिक मात्रा में सहायता अनुदान दिए जाने के कारण कुछ राज्यों के राजस्व लेखा पर पड़नेवाला प्रतिकूल असर कुछ हद तक कम रहा (सारणी V.3)।

5.17 2009-10(सं.अ.) में जहां गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के आरआर-जीएसडीपी अनुपात में और गिरावट आई वहीं गैर विशेष श्रेणी के अन्य कतिपय राज्य अर्थात् केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल भी प्रभावित हुए। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के स्वयं के कर राजस्व के संग्रहण की स्थिति खराब रही जिसके चलते उनके ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आई। तथापि, 2009-10(सं.अ.) में आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों के ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में सुधार हुआ। आंध्र प्रदेश का ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक था जिसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश का था। कुछ राज्यों के ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट देखी गई जो मुख्यत: चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में वसूली की खराब स्थिति एवं राज्यों में ब्याज, लाभांश तथा लाभ की प्राप्ति कम रहने की वजह से थी। स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में हुई गिरावट के अलावा सभी गैर विशेष श्रेणी के राज्यों (पंजाब को छोड़कर) में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में कर का न्यागमन (केंद्र से) कम रहा। फिर भी गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में केंद्र द्वारा दिया जाने वाला जीएसडीपी के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (जीआर-जीएसडीपी) उच्चतर रहा। कुल मिलाकर, 2009-10(सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को दिये जाने वाले सहायता अनुदान में लगभग 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2008-09(सं.अ.) में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

5.18 2010-11 (ब.अ.) में जहां तक राज्यवार आरआर-जीएसडीपी की स्थिति का संबंध है, 2010-11 में गैर-विशेष श्रेणी के 12 राज्यों को आशा है कि कर संग्रहण में वृद्धि होने एवं केंद्र से कर के न्यागमन में बढ़ोतरी होने की वजह से राजस्व प्राप्तियां उच्चतर रहेंगी। जहां 2009-10 (ब.अ.) के 13.6 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है वहीं केंद्र द्वारा गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को होनेवाले कर न्यागमन में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है (2009-10 में 2.7 प्रतिशत)। तथापि गैर-विशेष श्रेणी के कई राज्यों ने अपने बजटों में ओएनटीआर-जीएसडीपी तथा जीआर-जीएसडीपी अनुपात को कम रखा है। वस्तुत: इनमें से कई राज्यों ने तो अपने बजटों में स्वयं के कर राजस्व एवं केंद्र से मिलनेवाले अनुदान में मात्रात्मक रूप में गिरावट आने की बात कही है। राज्यों का अनुमान है कि 2010-11 में ब्याज प्राप्तियों की राशि में गिरावट आने एवं बिजली क्षेत्र से होनेवाली प्राप्तियों में कमी आने के चलते उनके करेतर राजस्व में कमी आएगी। वृद्धि की बेहतर संभावना को देखते हुए अधिकांश राज्यों को लगता है कि 2010-11 (ब.अ.) में केंद्र से मिलनेवाले सहायता अनुदान में कमी आएगी (सारणी V.3)।

5.19 राज्य स्तर पर वैट को लागू करना कर सुधार की दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किए गए सुधारों में से एक प्रमुख सुधार है। राज्यों के लिए वैट कर राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है जिससे उनके कुल कर राजस्व का आधे से भी अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। मंदी के बावजूद गैर विशेष श्रेणी के 9 राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) में ओटीआर

सारणी V.3: राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)*				2008-09				2009-10 (सं.अ.)				2010-11 (ब.अ.)			
	आरआर/ जीएस डीपी	ओटीआर/ जीएस डीपी	ओएन टीआर/ जीएस डीपी	सीटी/ जीएस डीपी	आरआर/ जीएस डीपी	ओटीआर/ जीएस डीपी	ओएन टीआर/ जीएस डीपी	सीटी/ जीएस डीपी	आरआर/ जीएस डीपी	ओटीआर/ जीएस डीपी	ओएन टीआर/ जीएस डीपी	सीटी/ जीएस डीपी	आरआर/ जीएस डीपी	ओटीआर/ जीएस डीपी	ओएन टीआर/ जीएस डीपी	सीटी/ जीएस डीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	15.7	8.5	2.2	5.1	16.7	8.8	2.6	5.3	19.1	9.9	3.4	5.7	20.7	10.8	3.6	6.4
2. बिहार	23.4	4.3	0.5	18.6	23.1	4.3	0.8	18.0	24.4	5.3	0.6	18.5	28.1	6.3	0.7	21.0
3. छत्तीसगढ़	17.5	7.6	2.4	7.5	16.5	6.9	2.3	7.2	17.2	6.2	3.2	7.8	19.4	7.1	4.1	8.2
4. गोवा	16.9	8.2	5.9	2.7	17.9	8.6	6.3	3.0	18.9	8.5	6.7	3.8	19.5	8.6	6.1	4.7
5. गुजरात	11.5	7.1	1.6	2.9	11.5	7.0	1.5	3.0	11.4	6.9	1.3	3.2	11.4	7.0	1.4	3.0
6. हरियाणा	13.2	8.2	3.0	2.0	10.1	6.4	1.8	1.9	11.0	6.7	1.5	2.8	10.0	6.7	1.4	1.8
7. झारखंड	15.9	5.1	2.4	8.4	21.3	6.7	2.9	11.7	23.9	6.7	3.6	13.6	22.2	6.6	3.5	12.1
8. कर्नाटक	17.3	10.8	1.8	4.7	16.0	10.2	1.2	4.6	15.5	9.8	0.8	4.9	16.3	11.0	0.9	4.4
9. केरल	12.5	8.1	0.7	3.7	12.9	8.4	0.8	3.7	12.4	8.1	0.8	3.4	12.7	8.5	0.9	3.3
10. मध्य प्रदेश	19.1	7.9	1.9	9.3	19.6	7.9	1.9	9.7	22.3	9.0	3.2	10.1	21.7	9.3	2.2	10.2
11. महाराष्ट्र	12.0	7.7	1.9	2.4	11.7	7.5	1.4	2.8	10.6	6.7	0.8	3.1	11.0	7.2	1.2	2.6
12. उड़ीसा	18.5	6.2	2.3	10.0	18.4	6.0	2.4	10.1	18.3	5.9	1.9	10.5	18.5	6.1	1.9	10.6
13. पंजाब	14.3	7.5	3.7	3.0	12.5	6.7	3.5	2.3	13.2	7.2	3.3	2.8	13.2	7.5	3.1	2.6
14. राजस्थान	16.8	7.6	2.2	7.0	16.6	7.4	1.9	7.3	16.9	7.6	2.3	7.0	17.6	7.9	2.1	7.6
15. तमिलनाडु	14.9	9.9	1.1	3.9	16.2	9.9	1.7	4.6	14.3	9.3	1.2	3.8	14.4	9.5	0.9	4.0
16. उत्तर प्रदेश	18.3	7.0	1.6	9.7	18.9	7.0	1.6	10.3	20.0	7.2	3.1	9.7	21.8	8.3	2.9	10.6
17. पश्चिम बंगाल	10.0	4.4	0.5	5.1	10.4	4.1	1.4	4.9	9.6	4.1	0.8	4.7	9.8	4.1	0.7	4.9
II. विशेष क्षेत्र																
1. अरुणाचल प्रदेश	72.2	2.3	10.8	59.0	85.0	3.0	17.0	65.0	108.5	2.4	29.5	76.6	84.1	2.4	6.3	75.4
2. असम	21.1	5.2	2.8	13.1	22.8	5.2	2.9	14.7	27.8	4.9	3.3	19.6	26.9	5.1	2.8	19.0
3. हिमाचल प्रदेश	27.1	5.9	4.3	16.9	25.2	6.1	4.8	14.4	24.9	6.2	4.2	14.5	24.1	6.2	3.7	14.3
4. जम्मू और कश्मीर	42.8	6.7	2.6	33.5	45.4	7.7	3.2	34.5	51.1	8.0	3.4	39.6	53.4	8.3	3.1	42.0
5. मणिपुर	53.5	2.2	2.6	48.7	61.0	2.7	4.0	54.4	70.1	3.1	4.7	62.4	66.2	3.6	5.6	57.0
6. मेघालय	28.4	3.9	2.4	22.1	29.2	3.8	2.3	23.1	34.7	3.7	2.2	28.8	35.0	3.7	2.1	29.2
7. मिजोरम	61.6	2.2	4.2	55.3	69.7	2.5	4.2	63.0	75.3	2.7	3.4	69.2	68.1	2.5	3.5	62.1
8. नागालैंड	44.6	2.0	1.7	40.9	48.2	2.2	2.6	43.4	51.5	2.0	1.8	47.6	64.1	2.4	2.0	59.7
9. सिक्किम	109.5	8.4	56.3	44.9	102.3	7.1	46.1	49.1	119.0	6.3	45.0	67.8	107.9	6.4	38.4	63.2
10. त्रिपुरा	32.9	3.3	0.9	28.7	34.5	3.7	1.3	29.5	36.6	4.1	1.2	31.3	40.2	4.9	1.4	33.9
11. उत्तराखंड	22.2	7.5	2.1	12.6	21.5	7.6	1.7	12.2	23.4	7.5	3.0	12.8	22.7	7.5	2.1	13.1
सभी राज्य#	**12.2**	**5.8**	**1.4**	**4.9**	**12.4**	**5.8**	**1.5**	**5.2**	**12.3**	**5.6**	**1.5**	**5.3**	**11.6**	**5.4**	**1.3**	**4.9**
ज्ञापन मदें																
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	10.1	8.2	1.2	0.6	9.9	7.3	1.4	1.1	11.0	6.8	1.8	2.4	9.8	7.0	1.8	1.0
2. पुदुचेरी	24.0	6.9	6.9	10.1	20.9	6.2	5.3	9.4	22.0	6.9	5.1	10.0	21.3	8.7	6.5	6.2

औ. : औसत आरई : संशोधित अनुमान आरआर : राजस्व प्राप्तियां ओटीआर : स्वयं के कर राजस्व
ओएनटीआर : स्वयं के करेतर राजस्व सीटी : चालू अंतरण जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 के हैं। # : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

के प्रतिशत के रूप में वैट से प्राप्त होनेवाली राशि में वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश का वैट से प्राप्ति- जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक अर्थात् 6.2 प्रतिशत रहा उसके बाद केरल (5.8 प्रतिशत) तथा तमिलनाडु (5.4 प्रतिशत) का क्रम था। 2010-11 (ब.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के 10 राज्यों के वैट-ओटीआर अनुपातों में वृद्धि होने की संभावना है जो वृद्धि की बेहतर संभावनाओं को दर्शाती है। कुछ अन्य परोक्ष करों के साथ-साथ वैट के स्थान पर जीएसटी को लागू करने का मुद्दा अभी भी विचाराधीन है। यदि ऐसा होता है तो इससे कर प्रणाली सरल होगी, दक्षता में सुधार होगा एवं कर संग्रहण में वृद्धि के साथ-साथ अनुपालन में भी सुधार होगा (चार्ट V.1)।

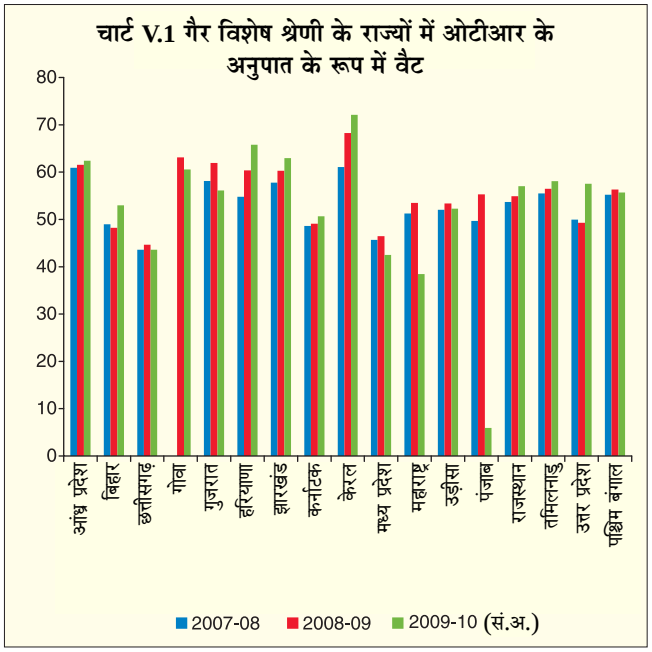

राजस्व व्यय

5.20 हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की व्यय संबंधी रणनीति की झलक विकासेतर राजस्व व्यय को, मुख्यत: प्रशासनिक सेवाओं और ऋण चुकौती सेवाओं को, कम करने के उनके प्रयासों में देखा जा सकता है ताकि सामाजिक क्षेत्र में विकासात्मक व्यय हेतु संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। यद्यपि 2004-05 से 2007-08 के दौरान मात्रात्मक रूप में राजस्व व्यय के स्तर में निरंतर वृद्धि हुई है, फिर भी व्यय सुधार संबंधी विभिन्न उपायों के चलते आरई-जीडीपी अनुपात में गिरावट आयी। परंतु कुछ राज्यों में मजदूरी तथा वेतनों की राशि में बढ़ोतरी किए जाने के चलते 2008-09 में आरई-जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल तथा पंजाब को छोड़कर गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आरई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि देखी गयी। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में विकासात्मक राजस्व व्यय (डीआरई-जीएसडीपी) में भी वृद्धि हुई; कर्नाटक तथा पंजाब इसके अपवाद थे जिनमें 2008-09 में इस अनुपात में गिरावट आयी। विकासात्मक राजस्व व्यय के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं संबंधी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि कई राज्यों में आर्थिक सेवाओं से संबंधित व्यय की वृद्धि दर में गिरावट आयी (सारणी V.4 तथा विवरण 12 तथा 13)।

5.21 2009-10 में वृद्धि की गति बढ़ाने हेतु किये गये राजकोष उपायों के प्रभाव को दर्शाते हुए गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आरई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई; कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु इसके अपवाद थे जहां अनुपात में मामूली गिरावट आयी। उल्लेखनीय है कि केरल उन कुछ राज्यों में से एक है जिसने 2009-10 में विशिष्ट राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। आम तौर पर इसका अधिक फोकस विकासात्मक कार्यकलापों में वृद्धि करना था जिसके चलते समेकित स्तर पर डीआरई-जीडीपी अनुपात उच्चतर रहा। परंतु झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में आरई-जीएसडीपी अनुपात में हुई वृद्धि का मुख्य कारण गैर विकासात्मक राजस्व व्यय की मात्रा अधिक होना था। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा जैसे राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) में विकासात्मक व्यय कुल राजस्व व्यय के 70 प्रतिशत से भी अधिक था जबकि केरल तथा पंजाब के मामले में यह 50 प्रतिशत से कम था। विकास के प्राथमिकतावाले क्षेत्रों में शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास प्रमुख क्षेत्र थे, परंतु व्यय की प्राथमिकता के क्रम की दृष्टि से राज्यों के बीच काफी अंतर था। ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में प्राथमिक राजस्व अधिशेष की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा बिहार अच्छी स्थिति में थे (चार्ट V.2)।

5.22 राज्यवार संरचना से ज्ञात होता है कि 2009-10 (सं.अ.) में उच्चतम डीआरई-जीएसडीपी अनुपात एवं एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात के साथ बिहार का आरई-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक रहा। झारखंड का आरई-जीएसडीपी अनुपात दूसरे क्रम पर था जिसके बाद गोवा का स्थान था। बिहार के अलावा कुछ राज्यों जैसे गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश का डीआरई-जीएसडीपी अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर था। 2009-10(सं.अ.) में हरियाणा, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात का एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से कम था। विकासेतर राजस्व व्यय के अंतर्गत 2009-10(सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के पांच राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान (आइपी-जीएसडीपी) में बढ़ोतरी हुई जबकि तीन राज्यों में यह अनुपात लगभग अपरिवर्तित रहा। आम तौर पर 2000 के दशक के दौरान (2008-09 तक) आइपी-जीएसडीपी अनुपात में क्रमश: गिरावट आई जो ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई क्रमश: ऋण अदला-बदली योजना तथा ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के असर को प्रतिबिंबित करता है। पश्चिम बंगाल को 2009-10(सं.अ.) में इन

सारणी V.4: राज्य सरकारों के राजस्व व्यय

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)*					2008-09					2009-10 (सं.अ.)					2010-11 (ब.अ.)				
	आरई/ जीएस डीपी	डीआरई/ जीएस डीपी	एनडी आरई/ जीएस डीपी	आइपी/ जीएस डीपी	पीएन/ जीएस डीपी	आरई/ जीएस डीपी	डीआरई/ जीएस डीपी	एनडी आरई/ जीएस डीपी	आइपी/ जीएस डीपी	पीएन/ जीएस डीपी	आरई/ जीएस डीपी	डीआरई/ जीएस डीपी	एनडी आरई/ जीएस डीपी	आइपी/ जीएस डीपी	पीएन/ जीएस डीपी	आरई/ जीएस डीपी	डीआरई/ जीएस डीपी	एनडी आरई/ जीएस डीपी	आइपी/ जीएस डीपी	पीएन/ जीएस डीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I. गैर विशेष श्रेणी																				
1. आंध्र प्रदेश	15.3	9.7	5.6	2.6	1.5	16.4	11.3	5.0	2.1	1.5	18.3	12.8	5.4	2.2	1.7	19.9	13.4	6.5	2.3	1.9
2. बिहार	21.2	12.0	9.2	3.8	2.7	20.0	12.6	7.4	2.6	2.4	24.3	15.2	9.1	2.7	3.0	24.2	15.0	9.2	2.7	3.5
3. छत्तीसगढ़	14.0	9.2	4.1	1.6	0.9	14.5	10.2	3.8	1.1	1.0	17.4	13.0	3.9	1.0	1.0	18.5	13.3	4.8	1.1	1.2
4. गोवा	16.3	11.1	5.2	2.8	1.0	17.3	12.0	5.4	2.6	1.1	20.1	13.9	6.2	2.5	1.8	19.5	13.1	6.4	2.5	1.9
5. गुजरात	11.1	6.4	4.7	2.6	0.9	11.5	7.5	4.0	2.3	0.9	12.6	8.2	4.3	2.3	1.1	12.4	7.9	4.5	2.3	1.0
6. हरियाणा	11.9	7.9	3.8	1.7	0.9	11.2	7.8	3.3	1.3	0.9	12.7	9.0	3.7	1.4	1.0	11.6	7.9	3.6	1.6	0.9
7. झारखंड	18.2	11.9	6.2	1.8	1.2	20.4	13.1	7.3	2.8	1.5	20.7	12.9	7.8	2.7	2.1	18.3	11.8	6.5	2.4	1.5
8. कर्नाटक	15.7	9.9	5.0	2.0	1.3	15.4	10.0	4.5	1.7	1.5	15.4	10.1	4.5	1.8	1.2	16.2	10.4	4.9	1.9	1.4
9. केरल	14.7	6.8	7.0	2.8	2.5	14.9	7.0	6.7	2.5	2.5	14.3	6.8	6.3	2.4	2.2	14.2	6.9	6.2	2.4	2.2
10. मध्य प्रदेश	17.1	9.7	6.4	2.9	1.3	17.2	10.2	5.9	2.4	1.4	19.5	11.9	6.4	2.5	1.6	20.9	12.3	7.1	2.5	1.7
11. महाराष्ट्र	11.5	6.7	4.6	2.1	0.7	10.9	6.9	3.8	1.8	0.7	12.2	8.0	4.0	1.7	0.8	11.8	7.4	4.3	1.8	0.8
12. उड़ीसा	16.3	8.5	7.6	3.6	1.6	15.9	10.4	5.2	2.2	1.6	19.4	11.9	7.2	2.4	2.6	19.1	11.7	7.2	2.3	2.6
13. पंजाब	16.0	6.7	9.0	3.3	1.6	14.8	6.2	8.5	3.0	1.7	15.4	6.9	8.2	2.8	1.6	15.4	6.9	8.0	2.7	1.4
14. राजस्थान	16.5	9.9	6.6	3.7	1.4	17.0	10.6	6.4	3.1	1.6	18.7	11.5	7.3	3.1	2.3	18.0	11.1	6.9	3.1	2.1
15. तमिलनाडु	13.8	7.5	5.4	2.0	1.9	15.8	9.1	5.5	1.8	2.3	15.6	9.2	5.3	1.8	2.1	15.2	8.6	5.5	1.8	2.3
16. उत्तर प्रदेश	17.6	9.1	7.6	3.2	1.6	18.4	10.4	7.2	2.8	1.7	19.6	10.2	8.6	2.5	2.3	21.7	11.4	9.5	2.6	2.5
17. पश्चिम बंगाल	13.0	6.2	6.7	4.0	1.4	14.6	8.6	5.9	3.4	1.3	15.2	8.1	7.0	3.2	2.2	13.2	7.5	5.6	2.9	1.3
II. विशेष क्षेत्र																				
1. अरुणाचल प्रदेश	57.0	40.6	16.4	4.9	2.5	63.3	46.2	17.1	4.8	2.5	76.2	53.1	23.1	4.8	3.2	55.1	39.4	15.6	4.5	2.6
2. असम	17.9	11.0	6.9	2.4	1.8	18.0	10.4	6.8	2.0	1.8	33.9	16.6	14.2	2.4	2.7	32.9	19.3	10.1	2.4	2.6
3. हिमाचल प्रदेश	25.9	14.8	11.1	5.7	2.9	25.6	14.9	10.6	5.1	3.1	25.3	15.0	10.3	4.7	3.1	25.2	14.4	10.8	4.7	3.9
4. जम्मू और कश्मीर	36.0	21.0	15.0	5.1	3.2	35.8	20.4	15.4	4.6	3.3	39.4	22.4	17.1	5.3	3.9	41.1	22.4	18.7	5.3	4.2
5. मणिपुर	41.2	25.7	15.4	5.0	3.8	41.3	24.1	17.3	4.9	4.2	47.4	27.7	17.9	4.9	4.2	49.9	30.1	18.7	4.5	4.9
6. मेघालय	26.2	16.7	9.5	2.7	1.5	27.9	18.2	9.8	2.2	1.8	32.7	23.0	9.6	2.2	1.6	32.3	23.1	9.2	2.1	1.6
7. मिजोरम	56.8	37.1	19.7	6.8	2.9	60.7	39.6	21.1	5.9	3.3	69.3	45.6	23.7	6.1	3.8	60.9	38.7	22.2	5.1	4.3
8. नागालैंड	38.1	20.6	17.5	4.5	3.5	40.9	21.8	19.1	4.4	3.2	46.0	25.3	20.7	4.8	4.0	52.3	29.5	22.8	4.9	5.9
9. सिक्किम	97.1	32.5	64.7	5.5	2.3	87.8	35.8	52.0	5.5	2.3	96.9	42.8	54.1	5.8	4.2	91.9	43.2	48.0	5.9	4.4
10. त्रिपुरा	25.1	13.0	11.6	3.8	2.7	26.5	14.5	11.3	3.3	3.0	35.0	19.6	14.7	3.6	4.2	34.4	17.8	15.8	3.7	4.4
11. उत्तराखंड	20.7	12.4	7.6	3.1	1.7	20.9	12.5	7.7	3.0	2.1	25.7	15.7	9.2	3.2	2.8	22.4	13.7	7.7	2.9	1.9
सभी राज्य#	**11.8**	**6.6**	**4.8**	**2.1**	**1.1**	**12.2**	**7.4**	**4.5**	**1.8**	**1.2**	**13.0**	**7.9**	**4.8**	**1.8**	**1.3**	**11.9**	**7.1**	**4.5**	**1.6**	**1.2**
ज्ञापन मदें:																				
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	6.4	3.7	2.2	1.7	–	7.1	4.7	2.1	1.5	–	7.5	5.2	2.0	1.4	–	6.7	4.7	1.8	1.2	0.0
2. पुदुचेरी	24.3	18.7	5.6	2.4	1.3	21.8	16.0	5.8	2.2	1.4	25.1	18.4	6.7	2.2	2.2	23.0	18.5	4.4	1.9	1.0

औ: औसत आरई : संशोधित अनुमान आरई : राजस्व व्यय डीआरई : विकासात्मक राजस्व व्यय

एनडीआरई : गैर विकासात्मक राजस्व व्यय आइपी : ब्याज भुगतान पीएन : पेंशन जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद

– : शून्य/नगण्य/लागू नहीं * : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 के हैं # : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर

सुविधाओं का लाभ नहीं मिला और उसका आइपी-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक रहा। अत: कुछ राज्यों में राजस्व प्राप्तियों का अधिकांश हिस्सा ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग होता रहा जिनमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा जिसके बाद पंजाब, गुजरात तथा केरल का स्थान था। उसी प्रकार 2009-10(सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में पेंशन के भुगतान का अनुपात

चार्ट V.2 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का प्राथमिक राजस्व शेष से वित्तपोषण - 2009-10 (सं.अ.)

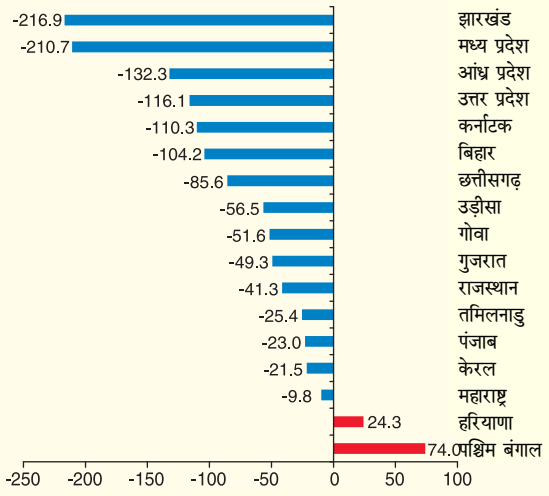

अधिक रहा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि छठे वेतन आयोग/ राज्य वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के चलते राज्य सरकारों के पेंशन के दायित्व के स्तर में वृद्धि हो गई है। 2009-10(सं.अ.) में पश्चिम बंगाल (102.8 प्रतिशत), उड़ीसा (91.4 प्रतिशत), गोवा (87.0 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (65.4 प्रतिशत), झारखंड(53.1 प्रतिशत) तथा राजस्थान (50.8 प्रतिशत) में पेंशन संबंधी व्यय में तेजी से वृद्धि हुई (विवरण 17, चार्ट V.3 तथा चार्ट V.4)।

चार्ट V.3 : राजस्व प्राप्तियों का ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय - 2009- 10 (सं.अ.)

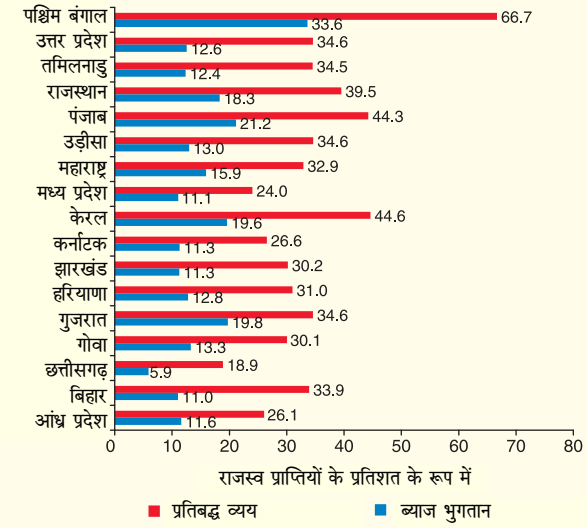

चार्ट V.4 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान की संरचना - 2009-10 (सं.अ.)

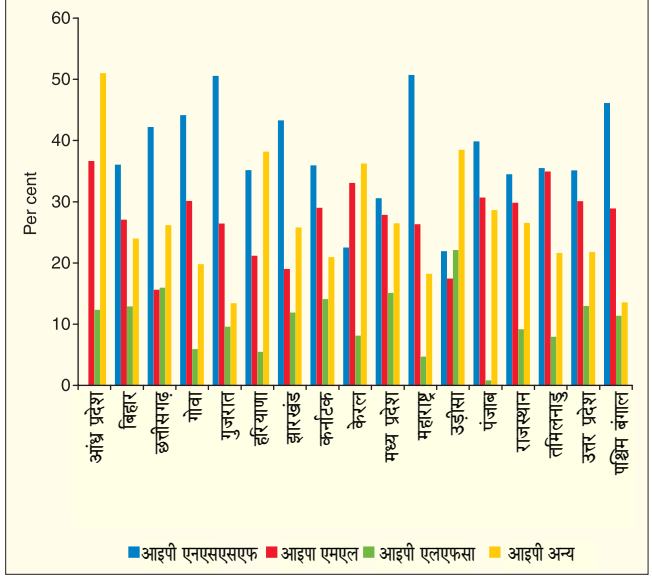

5.23 2010-11(ब.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के 11 राज्यों ने अपने बजटों में आरई-जीएसडीपी अनुपात कम रखे। 2010-11 (ब.अ.) में समेकित आरई/जीडीपी अनुपात में हुई सकल गिरावट का 88.2 प्रतिशत हिस्सा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की वजह से था। संभावना है कि हरियाणा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में आरई-जीएसडीपी अनुपात में 1 प्रतिशत अंक से भी अधिक की गिरावट आएगी।

विशेष श्रेणी के राज्य

5.24 विशेष श्रेणी के राज्यों की राजस्व प्राप्तियां केंद्र से राजस्व-अंतर अनुदान के रूप में केंद्र से प्राप्त होने वाले अंतरणों पर निर्भर करती हैं। विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में आर्थिक कार्यकलापों का स्तर कम रहने के कारण इन राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर पिछले दो वर्षों की प्रतिकूल समष्टि आर्थिक गतिविधियों का असर अपेक्षाकृत सीमित रहा।

राजस्व प्राप्तियां

5.25 2008-09 के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों में से 3 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तराखंड के आरआर-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी जो मुख्यत: केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाले अंतरण की राशि (सिक्किम को छोड़कर) तथा करों का न्यागमन (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) कम रहने की वजह से थी। 2008-09 में जहां सिक्किम का ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात

कम रहा वहीं असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा उत्तराखंड के ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात कम था। 2008-09 के दौरान केंद्रीय करों की प्राप्तियों में कमी आने के चलते जम्मू और कश्मीर को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों की केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सेवाली राशि कम रही। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान (जीआर-जीएसडीपी) उच्चतर रहा।

5.26 2009-10 (सं.अ.) में केवल हिमाचल प्रदेश का आरआर-जीएसडीपी अनुपात कम रहा जो मुख्यत: ओएनटीआर-जीएसडीपी के कम रहने एवं केंद्र से करों के न्यागमन की मात्रा में गिरावट आने की वजह से था। विशेष श्रेणी के जिन राज्यों के ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में थोड़ी गिरावट आयी उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा उत्तराखंड शामिल थे। 2009-10(सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य 5 राज्यों अर्थात् मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा का ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात कम रहा। यद्यपि 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों को कर अंतरण के रूप में कम राशि प्राप्त हुई फिर भी केंद्र से प्राप्त हुए उच्चतर अनुदान ने इसकी भरपाई कर दी (विवरण 18-23)।

5.27 2008-09 में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 6 राज्यों का वैट-ओटीआर अनुपात कम रहा। 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के 5 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड के वैट-ओटीआर अनुपात में गिरावट आयी। 2009-10 (सं.अ.) में मणिपुर का वैट-ओटीआर अनुपात सबसे अधिक अर्थात् 82.7 प्रतिशत रहा जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड का स्थान था (चार्ट V.5)। 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच जीएसडीपी के रूप में वैट का संग्रहण जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक तथा नागालैंड में सबसे कम था। 2010-11 (ब.अ.) में जहां वैट-जीएसडीपी के अनुपात के रूप में जम्मू और कश्मीर शीर्ष पर बना रहा वहीं मिजोरम सबसे नीचे था।

राजस्व व्यय

5.28 2008-09 में विशेष श्रेणी के 8 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड के जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। 2008-09 (लेखा) में विकासात्मक व्यय में वृद्धि होने के चलते जहां अरुणाचल प्रदेश का आरई-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक

चार्ट V.5: विशेष श्रेणी के राज्यों में ओटीआर के प्रतिशत के रूप में वैट

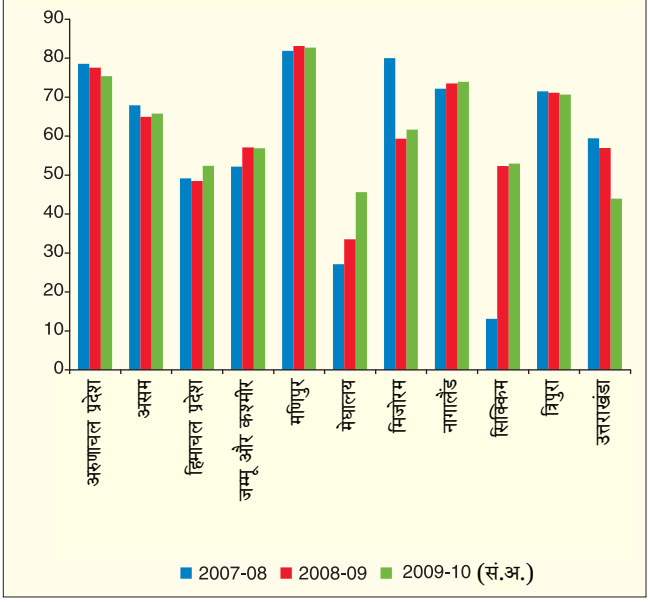

रहा वहीं मुख्यत: टीआरई-जीएसडीपी अनुपात कम रहने की वजह से सिक्किम के आरई-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक गिरावट आयी। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच सिक्किम का आरई-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक (87.8 प्रतिशत) रहा जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (63.3 प्रतिशत) तथा मिजोरम (60.7 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 में राजस्व व्यय के अंतर्गत असम तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों का डीआरई-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर था। इसी अवधि के दौरान असम, जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय के विकासेतर घटक (एनडीआरई) में गिरावट आयी। 2007-08 की तुलना में 2008-09 में मिजोरम के एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि हुई जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आइपी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी। परंतु इस अवधि के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशन भुगतानों में वृद्धि हुई।

5.29 2009-10 (सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आरई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के डीआरई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान विशेष श्रेणी के दो राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश और मेघालय के एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात

में गिरावट आयी। विकासेतर राजस्व व्यय की श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आइपी-जीएसडीपी अनुपात में बढ़ोतरी हुई जबकि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में पेंशन की राशि में गिरावट आयी (सारणी V.4)।

5.30 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों के कुल ब्याज भुगतानों में केंद्र से लिये गये ऋण के संबंध में अदा की गई ब्याज की राशि का हिस्सा छोटा-सा था। एनएसएसएफ प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज के भुगतान का हिस्सा उत्तराखंड का सबसे अधिक था इसके बाद असम तथा त्रिपुरा का स्थान था। नागालैंड के मामले में यह केवल 4.0 प्रतिशत था। नागालैंड ने बाजार से लिये गये ऋणों के संबंध में सबसे अधिक ब्याज का भुगतान किया जिसके बाद मिजोरम तथा मेघालय का स्थान था।

5.31 2010-11 (ब.अ.) में विशेष श्रेणी के कई राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड ने अपने बजटों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय कम रखने का प्रस्ताव किया है। 2010-11 में आरई-जीएसडीपी अनुपात में कमी लाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड की योजना है कि वे डीआई-जीएसडीपी अनुपात को कम करेंगे जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम तथा उत्तराखंड ने इसके लिए अपने बजटों में एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात को कम रखा है। विकासेतर राजस्व व्यय के अंतर्गत आशा है कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा उत्तराखंड के मामलों में आइपी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आएगी जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम तथा उत्तराखंड को छोड़कर जीएसडीपी के अनुपात के रूप में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के पेंशन व्यय में वृद्धि होगी। यह देखा गया है कि विशेष श्रेणी के राज्यों का ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं तथा पेंशन सहित प्रतिबद्ध राजस्व व्यय(सीई) की राशि काफी अधिक है। 2009-10(सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश 38.6 प्रतिशत के सीई-आरआर अनुपात के साथ विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच सबसे आगे था जिसके बाद त्रिपुरा तथा नागालैंड का स्थान था। 2009-10(सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश का आइपी-आरआर अनुपात सबसे अधिक अर्थात् 18.8 प्रतिशत था जिसके बाद उत्तराखंड एवं जम्मू और कश्मीर का था। यह संभावना है कि 2010-11(ब.अ.) में हिमाचल प्रदेश का आइपी-आरआर अनुपात सबसे अधिक रहेगा उसके बाद उत्तराखंड का स्थान होगा (विवरण 17, 36 तथा 37 एवं चार्ट V.6)।

चार्ट V.6: राजस्व प्राप्तियों का ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय - 2009- 10 (सं.अ.)

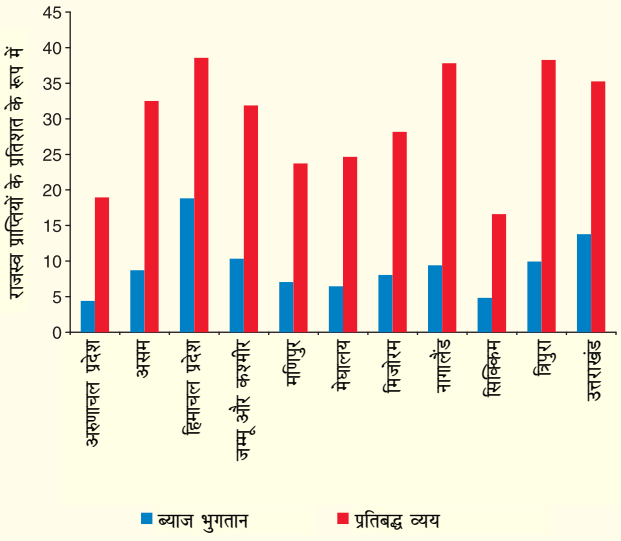

4. राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति

5.32 हाल के वर्षों में राज्यों के व्यय की प्रवृत्ति में अनुकूल बदलाव हुआ है जैसा कि राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात से स्पष्ट है। राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटा अनुपात दर्शाता है कि चालू व्यय को पूरा करने के लिए उधारियों का उपयोग किस सीमा तक किया गया। यह अनुपात 2001-02 के 64.1 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में 7.8 प्रतिशत हो गया, बाद में 2006-07 तथा 2007-08 में राजस्व अधिशेष के चलते स्थिति में और सुधार हुआ। 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान के राजस्व अधिशेष से यह ज्ञात होता है कि राजस्व प्राप्तियों का एक हिस्सा पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया। पूंजीगत व्यय के पक्ष में हुआ यह बदलाव व्यय प्रबंधन की उस नीति के कारण है जिसका फोकस पूंजी परिव्यय में वृद्धि करने हेतु अधिक बल देते हुए व्यय को ऐसे भौतिक उत्पादन तथा परिणामों के साथ जोड़ने पर था जिनको मापा जा सकता है। विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों ने पर्याप्त निधीयन की व्यवस्था की ताकि चल रही योजनाएं पूरी की जा सकें। राज्यों के व्यय प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच विकासात्मक व्यय, पूंजी परिव्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति के विश्लेषण से किया जा सकता है, यद्यपि ये व्यय एक-दूसरे से असंबद्ध श्रेणी के व्यय नहीं हैं। इन व्ययों से संबंधित गैर विशेष तथा विशेष, दोनों श्रेणी के राज्यों के 2005-08(औसत), 2008-09 तथा 2009-10 (सं.अ.) एवं 2010-11 (ब.अ.) के आंकड़े

सारणी V.5 में दिए गए हैं। इस विश्लेषण से उभरकर आने वाली प्रमुख बातों में से एक व्यय की प्रमुख श्रेणियों (अर्थात् विकासात्मक व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय) के अनुपात में गिरावट आना है जिनका मध्यावधि तथा दीर्घावधि में राज्यों की वृद्धि तथा विकास हेतु काफी महत्व है।

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

5.33 2004-05 से 2008-09 तक सकल व्यय के अनुपात के रूप में एक समूह के रूप में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के विकास व्यय (डीई-एई) (राजस्व तथा पूंजी दोनों) में वृद्धि हुई। यह स्थिति 2004-05 के 51.8 प्रतिशत की तुलना में 64.3 प्रतिशत के उच्चतर डीई-एई अनुपात से स्पष्ट होती है। परंतु यह प्रवृत्ति बरकरार न रह सकी क्योंकि राज्यों के वेतनों में बढ़ोतरी किये जाने एवं 2009-10 (सं.अ.) में राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के संबंध में राज्यों को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 2009-10 (सं.अ.) में गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का डीई-एई अनुपात कम रहा। छत्तीसगढ़ का डीई-एई अनुपात सबसे अधिक रहा जिसके बाद हरियाणा के स्थान था जबकि पंजाब और केरल का यह अनुपात सबसे कम था। आशा है कि 2010-11 (ब.अ.) में डीई-एई अनुपात में कमी आएगी क्योंकि 15 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने अपने बजट में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में डीई-एई अनुपात कम रखा है।

5.34 उपर्युक्त स्थिति के बावजूद 2004-05 से 2009-10 (सं.अ.) के दौरान जीडीपी की तुलना में विकासात्मक व्यय (डीई-जीडीपी) में निरंतर वृद्धि दिखाई दी। यद्यपि 2009-10 (सं.अ.) में जहां समेकित स्तर पर डीई-जीडीपी अनुपात में सुधार हुआ वहीं कुछ राज्यों अर्थात् गुजरात, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के डीई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आई। जीएसडीपी के अनुपात के रूप में विकासात्मक व्यय (डीई-जीएसडीपी) बिहार में सबसे अधिक था जिसके बाद गोवा का स्थान था, जबकि केरल तथा पंजाब का यह अनुपात सबसे कम था। 2010-11 (ब.अ.) में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने अपने बजटों में डीई-जीएसडीपी अनुपातों को कम रखा है (सारणी V.5 तथा विवरण 12)। 2010-11 (ब.अ.) में जहां गैर विशेष श्रेणी के 13 राज्यों में जीएसडीपी अनुपात के रूप में विकासेतर व्यय में कमी आने की संभावना है वहीं राशि के रूप में झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में विकासेतर व्यय में वृद्धि होने की संभावना है (विवरण 13)।

5.35 2009-10 (सं.अ.) में जहां गैर विशेष श्रेणी के 14 राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय (एसएसई-जीएसडीपी) में वृद्धि हुई वहीं 3 राज्यों अर्थात् झारखंड, केरल तथा तमिलनाडु में 2009-10 (सं.अ.) में इस अनुपात में गिरावट आई अथवा यह पूर्ववत रहा। राज्यों के बीच बिहार तथा छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य थे जिनका एसएसई-जीएसडीपी अनुपात उच्च था जबकि पंजाब का यह अनुपात सबसे कम था। 2010-11 (ब.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के नौ राज्यों ने जीएसडीपी की तुलना में सामाजिक क्षेत्र व्यय को कम दर्शाया है जिनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तथापि, जहां बिहार तथा छत्तीसगढ़ का एसएसई-जीएसडीपी अनुपात उच्च स्तर पर बना रहेगा वहीं 2010-11 (ब.अ.) में पंजाब तथा केरल का एसएसई-जीएसडीपी अनुपात अत्यधिक कम रहने की संभावना है (सारणी V.5 तथा विवरण 41,42, 46 तथा 47)।

5.36 जहां तक पूंजी परिव्यय की बात है 2004-05 से 2008-09 तक सीओ-जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई परंतु 2009-10 (सं.अ.) में इसमें रुकावट आयी। गैर विशेष श्रेणी के 17 राज्यों में से 9 राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) में सीओ-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी जिनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल थे। बिहार का सीओ-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक था जिसके बाद गोवा तथा उत्तर प्रदेश का स्थान था। पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य थे जिनका सीओ-जीएसडीपी अनुपात कम था। यह संभावना है कि 2010-11 (ब.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के 9 राज्यों के सीओ-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आ सकती है। आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बजटों में सीओ-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक गिरावट (0.6 प्रतिशत अंक) दर्शायी गयी है। संभावना है कि गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा केरल का सीओ-जीएसडीपी अनुपात कम स्तर पर बना रहेगा। 2010-11 में सीओ-जीएसडीपी के अनुपात के रूप में अगली पंक्ति वाले राज्य वही रहे जो पिछले वित्तीय वर्ष में भी इसी क्रम में थे जैसे कि बिहार, गोवा तथा उत्तर प्रदेश (सारणी V.5)।

सारणी V.5: राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)*			2008-09			2009-10 (सं.अ.)			2010-11 (ब.अ.)		
	डीईवी/ जीएस डीपी	एसएसई/ जीएस डीपी	सीओ/ जीएस डीपी	डीईवी/ जीएस डीपी	एसएसई/ जीएस डीपी	सीओ/ जीएस डीपी	डीईवी/ जीएस डीपी	एसएसई/ जीएस डीपी	सीओ/ जीएस डीपी	डीईवी/ जीएस डीपी	एसएसई/ जीएस डीपी	सीओ/ जीएस डीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	13.7	6.8	3.6	15.0	8.3	2.7	17.1	8.5	3.9	17.2	9.1	3.3
2. बिहार	17.2	11.4	4.4	17.4	11.5	4.5	21.5	13.9	6.1	21.4	13.7	6.2
3. छत्तीसगढ़	13.3	8.7	3.4	13.7	9.3	3.1	16.6	12.4	2.8	18.0	12.7	3.8
4. गोवा	14.7	6.6	4.2	15.8	7.4	4.5	18.3	9.0	5.3	17.2	8.7	5.5
5. गुजरात	9.3	4.9	2.8	10.6	5.4	3.0	10.4	6.0	2.1	10.3	6.1	2.4
6. हरियाणा	9.8	4.5	1.9	10.3	5.4	2.5	11.2	6.2	1.9	9.9	5.6	1.4
7. झारखंड	18.3	11.5	4.6	18.6	13.0	5.2	18.0	12.1	4.5	16.2	11.0	4.2
8. कर्नाटक	13.6	6.9	3.6	13.7	7.6	3.6	13.9	8.6	3.7	14.2	8.6	3.6
9. केरल	7.8	5.5	0.7	8.4	5.7	0.9	8.0	5.7	0.9	8.8	6.0	1.7
10. मध्य प्रदेश	15.1	8.1	4.7	15.2	8.6	3.9	18.0	9.9	4.2	17.0	10.6	4.0
11. महाराष्ट्र	9.2	5.3	2.0	9.7	5.3	2.7	10.2	6.3	2.1	9.3	6.3	1.8
12. उड़ीसा	10.3	6.7	1.7	13.2	8.3	2.8	14.7	9.8	2.8	14.5	9.3	2.7
13. पंजाब	8.4	3.7	1.7	7.8	4.1	1.7	8.6	4.8	1.9	8.2	4.6	1.4
14. राजस्थान	13.3	8.3	3.4	13.7	9.6	2.9	14.5	10.2	2.5	13.9	9.5	3.1
15. तमिलनाडु	10.1	6.3	2.1	12.6	7.9	2.7	11.9	7.6	2.3	11.4	7.5	2.8
16. उत्तर प्रदेश	13.3	7.8	4.1	15.8	9.6	5.4	15.4	9.8	5.1	15.8	10.4	4.5
17. पश्चिम बंगाल	7.4	5.1	0.8	9.8	5.5	1.0	9.2	7.2	1.0	8.7	6.7	1.1
II. विशेष क्षेत्र												
1. अरुणाचल प्रदेश	57.0	24.9	17.0	74.2	28.2	28.4	90.7	35.7	36.0	49.3	18.4	30.8
2. असम	13.3	8.1	2.2	13.5	8.5	3.0	21.9	13.4	5.4	22.7	14.0	3.4
3. हिमाचल प्रदेश	18.5	11.4	3.8	20.6	12.4	5.6	20.0	11.6	5.0	18.3	10.9	3.7
4. जम्मू और कश्मीर	32.5	15.4	13.1	34.3	16.1	16.2	36.9	18.0	17.3	36.4	18.6	16.7
5. मणिपुर	39.5	19.3	15.7	46.3	22.8	23.1	53.5	24.3	27.4	49.1	23.2	21.8
6. मेघालय	20.9	12.0	4.3	23.6	12.7	5.5	30.1	16.4	7.4	28.3	15.7	5.5
7. मिजोरम	53.0	26.7	15.9	51.0	30.2	11.6	60.3	38.7	15.2	46.8	27.8	8.1
8. नागालैंड	30.5	15.4	11.3	31.8	15.8	12.1	40.4	19.7	17.3	42.0	21.7	15.4
9. सिक्किम	48.9	27.7	17.7	56.3	31.3	23.4	71.9	40.6	32.7	69.4	37.6	26.8
10. त्रिपुरा	19.9	12.2	7.8	23.2	14.2	10.2	32.4	20.7	14.6	27.2	16.7	12.8
11. उत्तराखंड	18.4	10.4	6.0	17.3	10.4	5.0	22.1	13.3	6.1	17.5	11.6	3.7
सभी राज्य#	**9.1**	**5.2**	**2.3**	**10.2**	**5.9**	**2.6**	**10.5**	**6.4**	**2.4**	**9.3**	**5.8**	**2.1**
ज्ञापन मदें:												
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	7.4	4.5	1.8	8.9	5.4	2.4	9.4	5.6	2.5	8.3	4.9	2.2
2. पुदुचेरी	22.2	10.5	3.9	18.0	9.0	2.2	21.3	11.8	3.2	23.2	13.3	5.0

औ. : औसत. आरई : संशोधित अनुमान. डीईवी : विकासात्मक व्यय एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय
सीओ : पूंजी परिव्यय जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 के हैं # : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं ।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर

विशेष श्रेणी के राज्य

5.37 विशेष श्रेणी के राज्यों का फोकस विकासात्मक व्यय के संबंध में रहा जैसाकि 2005-06 से 2009-10 (सं.अ.) के दौरान विकासात्मक व्यय में हुई निरंतर वृद्धि से ज्ञात होता है। विकासात्मक व्यय में हुई वृद्धि की प्रवृत्ति 2009-10 (सं.अ.) में भी बनी रही जैसा कि अधिकांश राज्यों की वृद्धि दर तथा डीई-जीएसडीपी अनुपात से ज्ञात होता है। 2008-09 के 16.1 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में विकासात्मक व्यय में 39.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस अवधि में 10 राज्यों का डीई-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा। तथापि 2009-10 (सं.अ.) में अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर

तथा मिजोरम में सकल व्यय में से विकासात्मक व्यय (डीई-एई) का हिस्सा कम रहा। जहां अरुणाचल प्रदेश का डीई-एई अनुपात सबसे अधिक था वहीं सिक्किम का यह अनुपात सबसे कम था। 2010-11 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर में काफी गिरावट आने की संभावना है। असम तथा नागालैंड को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में डीई-जीएसडीपी अनुपात कम रहने की संभावना है। राज्यों के बजटों में जहां सिक्किम का डीई-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक है वहीं उत्तराखंड का यह अनुपात सबसे कम है (सारणी V.4)।

5.38 सामाजिक क्षेत्र व्यय के अनुसार राज्यवार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2009-10(सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों का एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। 2009-10 (सं.अ.) में जहां सिक्किम और मिजोरम के एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि हुई वहीं हिमाचल प्रदेश में 0.8 प्रतिशत अंक की गिरावट आयी। 2010-11 (ब.अ.) में 11 में से 8 राज्यों के एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी। जहां अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट की दर काफी अधिक रहने की संभावना है वहीं विशेष श्रेणी के अन्य छह राज्यों में गिरावट मामूली रहने की संभावना है (विवरण 46 तथा 47)।

5.39 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के सीओ-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई और इस दौरान अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के अनुपातों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। परंतु सीओ-जीएसडीपी अनुपात में हो रही इस वृद्धि दर में 2010-11 (ब.अ.) में गिरावट आने की संभावना है। विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने अपने बजटों में सीओ-जीएसडीपी अनुपात को कम करके आंका है तथा मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के अनुपातों में तेजी से गिरावट आने की संभावना है (सारणी V.4)।

5. निष्कर्ष

5.40 2008-09 से 2010-11 तक के राज्य सरकारों के वित्त के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान छठे वित्त आयोग/ राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अधिकांश राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसके अलावा समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट के असर को कम करने के लिए अधिकांश राज्यों ने विशेष रूप से 2009-10 में कर रियायत तथा छूट देने एवं व्यय में वृद्धि करने के जरिए विस्तारकारी राजकोषीय उपायों का सहारा लिया। गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों के राजस्व प्राप्तियों पर इसका भारी प्रभाव पड़ा जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के वित्त पर इसका असर मामूली रहा। 2009-10 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात अधिक रहा जो उच्चतर आरडी-जीएसडीपी अनुपात को दर्शाता है। 18 राज्यों के राजस्व लेखा पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा तथा राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की संख्या 2008-09 के 21 से घटकर 2009-10 (सं.अ.) में 14 रह गई। 28 राज्यों में से 14 राज्यों (गैर विशेष श्रेणी के 13 राज्यों सहित) का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात जीएसडीपी के 4.0 प्रतिशत से कम रहा, हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात के लिए राज्यों को अनुमति दे दी थी। 2010-11 में 17 राज्यों के बजटों में राजस्व अधिशेष रहा। बजट में आरई- जीएसडीपी अनुपात के कम रखे जाने के बावजूद अधिकांश राज्यों में आरआर-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहने की संभावना है। 2010-11 (ब.अ.) में ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहने की संभावना है जबकि केवल कुछ ही राज्यों में ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में सुधार होने की आशा है। इसी प्रकार अधिकांश राज्यों को आशा है कि केंद्र से न्यागमन के रूप में उच्चतर कर राजस्व प्राप्त होगा जो कि राज्यों के उच्चतर सीटी-जीएसडीपी अनुपातों में परिलक्षित होता है। 2010-11 (ब.अ.) में 22 राज्यों के बजटों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात कम रहा जो अधिकांश राज्यों के राजस्व लेखा में हुए सुधार को दर्शाता है। 11 राज्यों में राजस्व घाटे का बने रहना यह दर्शाता है कि ये राज्य अपने राजस्व व्ययों को पूरा करने के लिए उधार ली गई राशि का उपयोग करना जारी रखेंगे।

5.41 सभी राज्यों के व्यय के उभरते परिदृश्य से ज्ञात होता है कि 2010-11 में 21 राज्यों ने डीई-जीएसडीपी अनुपातों को कम रखा है। इसी प्रकार 20 राज्यों के सीओ-जीएसडीपी अनुपात में जो गिरावट आयी उसका असर इन राज्यों की वृद्धि की संभावनाओं पर पड़ेगा। विकासात्मक तथा पूंजीगत व्ययों में समायोजन करके राजकोषीय सुधार करने की प्रवृत्ति से राज्यों के स्तर पर किए जा रहे राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के बारे में संदेह होता है।